**संख्या:36/2017/1081जेएल/22-3-17-100(23)/2017**

**प्रेषक,**

**सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2017***

**विषय:** जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध 02 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11914/सामा-1(3)बरेली मं0/2017, दिनांक 20-04-2017 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध 02 (दो) सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

| क्र.स. | विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम | निरूद्धि की वर्तमान कारागार | कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सि0/वि0 बंदी सुनील पुत्र श्री रामसहाय | जि0का0 सीतापुर | जि0का0 फतेहपुर |
| 2 | निर्मल सिंह पुत्र श्री वीरबहादुर सिंह | जि0का0 सीतापुर | जि0का0 प्रतापगढ़ |

**2-** कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)**
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या:36/2017/1081जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर/फतेहपुर/प्रतापगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, सीतापुर/फतेहपुर/प्रतापगढ़।
4. अधीक्षक, जि0का0, सीतापुर/फतेहपुर/प्रतापगढ़।
5. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)**
**संयुक्त सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in